न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 01/2021

प्रार्थीगण –

1. भगवानाराम पुत्र पांचाराम
   जाति कलबी निवासी सिंधासवा
   हरनियान हाल निवासी गुडामालानी
   तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. सरपंच ग्राम पंचायत गुडामालानी
   पं.स. गुडामालानी
2. वागाराम पुत्र बालाराम जाति
   चारण निवासी सिंधासवा
   हरनियान हाल निवासी
   गुडामालानी तहसील गुडामालानी
   जिला बाडमेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 785 दिनांक 10.01.2004 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत गुडामालानी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री भजनलाल गोदारा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता अप्रार्थी सं 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 08.07.2025

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत गुडामालानी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत ग्राम सिंधासवा हरनियान में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का आवासीय पट्टा विलेख सं. 785 दिनांक 10.01.2004 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 16 फीट 10.5 इंच गुणा 24.5 फीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत गुडामालानी द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत गुडामालानी का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत गुडामालानी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 में विहित नियम 157(2) के प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं कर नियमों की अनदेखी करते हुए आलौच्य पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत के सरपंच ने अपने पदीय कर्तव्यों से परे अप्रार्थी संख्या 2 को फायदा पहुंचाने के लिये आलौच्य पट्टा नियम विरूद्ध जारी किया गया है। प्रार्थी संख्या 1 भगवानाराम के स्वामित्व एवं आधिपत्य का भूखण्ड मौजा सिंधासवा हरनियान की आबादी भूमि खसरा नंबर 1717 मौहल्ला घांचियों का वास में आया हुआ है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी सं. 1 का लगातार कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है जो प्रार्थी के पिता पांचाराम ने काशीराम पुत्र दीपचंद जाति ब्राहमण निवासी गुडामालानी से जरिये रजिस्ट्री बेचान दिनांक 05.04.1983 को खरीद किया गया था तथा प्रार्थी के पिता ने उक्त भूखण्ड खरीद करने के बाद उक्त भूखण्ड पर अपने रहवास हेतु कुछ भाग पर मकान व दुकानों का निर्माण करवाया गया तथा उक्त भूखण्ड में निर्मित मकान में प्रार्थी के पिता का सपरिवार कब्जा व रहवास चला आ रहा है तथा प्रार्थी के परिवार के नाम से लाईट व पानी के कनेक्शन भी लिए हुए हैं। अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 से मिलावट कर सम्पूर्ण भूखण्ड अपना होना बताते हुए आलौच्य पट्टा संख्या 785 दिनांक 10.04.2004 जारी करवा दिया। अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत कार्यालय में उक्त पट्टा से संबंधित जो पत्रावली संधारित की गई उसमें किसी प्रकार की विधिवत कार्यवाही सम्पादित नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 ने

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

मौका का भौतिक सत्यापन किये बिना ही आनन–फानन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत कूटरचित रूप से आलौच्य पट्टा जारी किया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ ग्रा.पं. द्वारा नियम 148 के तहत प्रारूप 22 में जो आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया उसे विधिवत रूप से प्रकाशित नहीं कराया गया है। अप्रार्थी संख्या 02 ने प्रार्थी के पिता के नाम से शेष भूखण्ड का फर्जी हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान कर कुटरचित तरीके से प्रार्थी के पिता के नाम से पट्टा संख्या 783 दिनांक 10.01.2004 को जारी करवा दिया जबकि प्रार्थी के पिता ने इस प्रकार के नाप का पट्टा जारी करने हेतु कोई आवेदन तक नहीं किया है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा उपरोक्त पट्टा संख्या 785 जारी कराने हेतु आवेदन 05.04.2002 को ग्राम पंचायत गुडामालानी में पेश किया गया है जबकि अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त भूखण्ड प्रार्थी के पिता से दिनांक 08.07.2004 को जरिये ईकरारनामा के खरीदना बताया गया है, इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा भूखण्ड खरीद से पूर्व ही अपने नाम का पट्टा जारी करने का आवेदन ग्राम पंचायत में पेश कर दिया है, जिससे अप्रार्थी संख्या 2 का फर्जीवाड़ा व कुटरचना आदि भलीभांति प्रमाणित होती है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है कि अप्रार्थी संख्या 2 को निजी लाभ पहुंचाने के आशय से अप्रार्थी संख्या 1 ने आलौच्य पट्टा विधिविरूद्ध जारी किया है जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आलौच्य पट्टा खारिज फरमाया जावे।

4. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि काशीराम पुत्र दीपचंद के पास उक्त भूखण्ड का कोई स्वामित्व बाबत दस्तावेज नहीं था। उक्त भूमि ग्राम पंचायत गुडामालानी की आबादी भूमि है। केवल मात्र काशीराम द्वारा उक्त भूखण्ड पर अपना कब्जा बताकर बेचान किया गया है। भूमि का बेचान, अंतरण व पट्टा जारी करने के केवल मात्र अधिकार ग्राम पंचायत गुडामालानी के पास है। प्रार्थी के पिता पांचाराम के द्वारा अपने कब्जे व स्वामित्व की भूमि पर ग्राम पंचायत गुडामालानी से पट्टा प्राप्त किया गया। प्रार्थी के पिता पांचाराम के द्वारा ग्राम पंचायत में पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

पेश किया गया। ग्राम पंचायत गुडामालानी द्वारा प्रार्थी के पिता पांचाराम के पक्ष में पट्टा संख्या 783 दिनांक 10.01.2004 को जारी किया गया। जिस पर प्रार्थी के पिता पांचाराम के द्वारा सहमति स्वरूप अंगुष्ठ निशान किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा अपने अधिपत्य व स्वामित्व की भूमि पर ग्राम पंचायत गुडामालानी से पट्टा प्राप्त किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा संख्या 785 दिनांक 10.01.2004 को जारी किया गया। उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा वर्ष 1990 में मकान व दो दुकानों का निर्माण करवाया गया था। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रथम तल पर दो दुकानों का निर्माण कार्य करवाया गया है तथा उक्त दुकानों के ऊपर द्वितीय मंजिल पर रहवासीय मकान बनाया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधता नहीं की गई है। प्रार्थी के वर्तमान में अधिक भूमि हडपने की नियत से गलत निगरानी पेश की गई है। ऐसे में निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत करने का आधार गलत मनगढत होने से प्रस्तुत निगरानी काबिल खारिज है।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता कथन हैं कि आलौच्य पट्टा नियम 157(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 2 को निजी लाभ पहुंचाने के लिए सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से नियमों के विरूद्ध जारी किया गया है। प्रार्थी के पिता द्वारा उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री दिनांक 05.04.1983 को करवाई गई, जो कि प्रार्थी के पिता पांचाराम ने काशीराम पुत्र दीपचंद जाति ब्राहमण से खरीद की थी। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 05.04.2002 को ग्राम पंचायत गुडामालानी में पट्टे के लिए आवेदन किया, जिस पर दिनांक 20.06.2002 को ग्राम पंचायत गुडमालानी द्वारा पट्टा जारी करने का निर्णय प्रदान की गई। चूंकि पट्टा जारी करने की स्वीकृति से पूर्व अप्रार्थी संख्या 2 के पास स्वामित्व संबंधी किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं था तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा भूखण्ड के 16.6'X31 फीट के भाग पर इकरारनामा दिनांक 08.07.

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

2004 को पेश किया जो कि ग्राम पंचायत गुडामालानी द्वारा पट्टा जारी करने का निर्णय दिनांक 20.06.2002 के बाद का दस्तावेज है। इस प्रकार अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त भूखण्ड का जो पट्टा जारी करवाया गया, उस भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 का पूर्व में कोई स्वामित्व नहीं था। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 से 160 में विहित प्रावधानों की सम्पूर्ण पालना नहीं की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा पुराने कब्जे के नियमितीकरण हेतु विहित प्रावधानों एवं प्रक्रिया का पालन किये बिना एवं स्वामित्व व आधिपत्य की जांच किए बिना उक्त आलौच्य पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में स्वामित्व के इस बिन्दु पर पूर्णतया अवैधता एवं अनियमितता बरती गई हैं, लिहाजा धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित अनियमितता एवं अवैधता के बिन्दु पर आलौच्य पट्टा जारी करने की कार्यवाही एवं उसके अनुक्रम में जारी किया गया पट्टा निरस्त योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत गुडामालानी द्वारा बैठक दिनांक 20.06.2002 के संकल्प सं. 02 तहत लिये गये निर्णय एवं उसकी अनुपालना मे अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 785 दिनांक 10.01.2004 को अपास्त किया जाता है।
7. निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(राजेन्द्र सिंह कालवी)
अति. जिला कलक्टर,
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर (एडी एम.)